न्यायालय द्वादश अपर जनपद न्यायाधीश हरदोई।
प्रकीर्ण वाद संख्या–05/2017
रघुवीर सिंह आदि बनाम कृष्ण बिहारी
दिनांकः 30–11–2018

पत्रावाली पेश हुयी। पुकार पर याची एवं विपक्षी कृष्ण बिहारी उपस्थित। इन दोनो ही पक्षकारो द्वारा यह बताया गया कि अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत है, इसलिए उनके अधिवक्ता न्यायालय मे नही आ रहे है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि यह पत्रावली प्रार्थी/याचीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र 15क के आपत्ति/निस्तारण हेतु नियत है, किन्तु विपक्षी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है और न ही इस कार्यवाही को स्थगित करने का कोई प्रार्थनापत्र दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति मे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के अनुसार प्रार्थनापत्र 15क का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रार्थनापत्र 15क मय शपथपत्र दिनांकित 12.10.2018 इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा जो आवेदन अंतर्गत धारा 18 एवं 5 रेलीजस इन्डाउमेन्ट ऐक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया है, उसमे भूलवश वसीयत दिनांक 10.07.1989 का लेखक कृष्ण स्वरूप दीक्षित एडवोकेट का होना गलत अंकित हो गया है। वस्तुतः उक्त वसीयत कृष्ण स्वरूप दीक्षित एडवोकेट के मित्र राम सनेही मिश्रा ने लिखी है। अतः उक्त प्रार्थनापत्र मे उपरोक्त संशोधन करने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 18 एवं 5 रेलीजस इन्डाउमेन्ट ऐक्ट नम्बर 20/863 के पैरा–4 मे विपक्षी के भाई कृष्ण स्वरूप दीक्षित एडवोकेट द्वारा वसीयत का लिखा जाना कहा गया है और इस संशोधन के माध्यम से कृष्ण स्वरूप दीक्षित को गवाही देना और उनके मित्र अधिवक्ता राम सनेही मिश्रा एडवोकेट द्वारा वसीयत लिखे जाने की बात कही गयी है। उल्लेखनीय है कि वांछित संशोधन से वाद की प्रकृति मे कोई परिवर्तन नही होगा और विपक्षी को अतिरिक्त आपत्ति करने का अवसर भी प्राप्त है। अतः इस प्रार्थनापत्र को अनावश्यक रूप से विलम्बित रखना न्यायोचित नही होगा। यहां यह भी स्पष्ट करना है कि वांछित संशोधन के तथ्यो की जानकारी याचीगण को पूर्व से थी, क्योकि संशोधन प्रार्थनापत्र मे गलती से पैरा–4 मे कृष्ण स्वरूप दीक्षित एडवोकेट का वसीयत लेखक होना टंकित होना कहा गया है। अतः ऐसी स्थिति मे मामले मे हुये विलम्ब की प्रतिपूर्ति हर्जे से सम्भव है और यह प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 15क न्यायहित मे 300/–(तीन सौ) रूपया हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। याचीगण/प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे बाद हर्जा अदायगी वांछित संशोधन अन्दर सप्ताह करे। विपक्षीगण उक्त संशोधन पर यदि कोई आपत्ति दाखिल करना चाहते है, तो वह नियत तिथि तक प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त आपत्ति/सुनवाई दिनांक 12.12.2018 को पेश हो।

द्वादश अपर जनपद न्यायाधीश,
हरदोई।